सक्रियण, पुनरोद्धार और परिवर्तन (A.R.T) कार्यक्रम - चरण ॥
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1) NJEDA एआरटी – चरण ॥ अनुदान कार्यक्रम?

सक्रियण, पुनरोद्धार और परिवर्तन (A.R.T) कार्यक्रम - चरण ॥ अनुदान गैर-लाभकारी संगठनों के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कला और सांस्कृतिक क्षेत्र को रचनात्मक शक्ति के रूप में उपयोग करके सामुदायिक स्थान-निर्माण प्रयासों को उत्प्रेरित करना है, जो ऐसे 31 चुनिंदा नगर पालिकाओं के शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में काम करेगा, जिनके वाणिज्यिक गलियारे कोविड-19 के कारण घटे हुए यातायात से बेहद प्रभावित हुए हैं।

इस कार्यक्रम में स्थान निर्माण परियोजनाओं, तथा कला आधारित परियोजनाओं जैसी सार्वजनिक स्थान सक्रियण पहलों के लिए, वित्तीय वर्ष 2023 के बजट विनियोजन अधिनियम (पी.एल. 2022, सी.49) के माध्यम से 15 मिलियन डॉलर का विनियोजन किया गया है, जिसे कला समर्थन और स्थान निर्माण के रूप में जाना गया है, जिसके लिए प्रदत्त अनुदान 100,000 डॉलर से 500,000 डॉलर के बीच है।

2) एआरटी चरण ॥ अनुदान के लिए पात्र आवेदक कौन होते हैं?

501 c (3), 501 c (6) अथवा 501 c (19) वाले ग़ैर-लाभकारी संगठन। आईआरएस निर्धारण पत्र द्वारा समर्थित।.

(जनवरी 1, 2014 अथवा उसके बाद ज़ारी किए गए) निर्धारण पत्र की प्रतियाँ आईआरएस के निम्न ऑन-लाइन खोज टूल का उपयोग कर डाउनलोड की जा सकती हैं: कर मुक्त संगठन खोज (TEOS)

https://www.irs.gov/charities-non-profits/tax-exempt-organization-search

ईमेल फ़ीचर का उपयोग कर, 2014 से पहले ज़ारी किए गए निर्धारण पत्र की प्रतियों के लिए फ़ॉर्म Form 4506-B, Request for a Copy of Exempt Organization IRS Application or Letter जमा कर निवेदन किया जा सकता है।

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506b.pdf

3) पात्र परियोजनाओं को कहाँ अवस्थित किया जा सकता है?

सभी परियोजना स्थल अवश्य ही किसी पात्र न्यू जर्सी नगरपालिका में अवस्थित होने चाहिए जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा कराते हुये वहाँ संचालित किसी सक्रिय न्यू जर्सी ट्रांजिट, PATCO, PATH, या SEPTA यात्री रेल या लाइट रेल स्टेशन के 1.5 मील के भीतर स्थित हों। (अवस्थान एनजे सामुदायिक मामलों के विभाग की भौगोलिक सूचना प्रणाली यात्री रेल स्टेशन बिंदु डेटा पर

आधारित हैं।)

अपने प्रस्तावित परियोजना अवस्थान की पात्रता का निर्णय करने के लिए **NJEDA Location Mapping Tool** देखने हेतु यहाँ **here** करें।

कार्यक्रम के लिए पात्र क्षेत्रों वाली 31 नगरपालिकाएँ हैं: एसबरी पार्क, बेयोन, बेलेविले, बरलिंगटन सिटी, कैमडेन, सिटी ऑफ ऑरेंज, क्लिफ़्टन, दोवर, डनेलेन, ईस्ट ऑरेंज, एग हार्बर सिटी, एलीज़ाबेथ, गारफ़ील्ड, हैकेनसैक, हैमनटन, जर्सी सिटी, लिंडेन, लिंडेनवोल्ड, लॉन्ग ब्रांच, नेटकाँग, न्यू ब्रन्सविक, नॉर्थ बरगेन, पसाइक, पीटरसन, पेनसौकेन, पर्थ एमबॉय, प्लेनफ़ील्ड, राहवे, रिवरसाइड, ट्रेंटन, तथा यूनियन सिटी।

नेवार्क तथा एटलांटिक सिटी शहर के अंदर अवस्थित परियोजनाएं एआरटी - चरण II के अंतर्गत फंड प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।

4) किस प्रकार की परियोजनाएं समर्थन के लिए पात्र होती हैं?

एआरटी II कार्यक्रम एक ऐसा अनुदान उत्पाद है जो स्थान निर्माण परियोजनाओं, सार्वजनिक कला स्थापना तथा कला आधारित परियोजनाओं जैसी सार्वजनिक स्थान सक्रियण पहलों का समर्थन करेगा। इन गतिविधियों में कला प्रदर्शनियाँ, लीलाएँ, उत्सव, परेडें, संगीत सभाएं तथा संगीत सभा शृंखलाएँ, फ़िल्में तथा वीडियो स्क्रीनिंग, और सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग शामिल हो सकती हैं, परंतु यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। आवेदक को कला अथवा स्थान निर्माण परियोजनाओं की संचालन लागतों का समर्थन करने के लिए भी फ़ंड करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

5) क्या फंडस के कुछ अनुचित उपयोग भी होते हैं?

अपात्र परियोजना गतिविधियों में अचक्ल संपत्ति की कीमतें, ऐसी अचल संपत्ति की लीज़ जिसकी समाप्ती तिथि 31 दिसंबर, 2026 के बाद की हो, इंक्यूबेटर स्थान, तथा अचल संपत्ति का निर्माण शामिल हो सकता हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। साथ ही, ऐसे प्रमुख अवसंरचनात्मक सुधार जैसे सीवर, अपशिष्ट जल, विद्युत ग्रिड, सड़क पक्कीकरण, पेय जल प्रणालियाँ, तथा ऐसी संरचनाएँ जो 3 दिसंबर, 2026 के बाद भी अपने स्थान पर बनी रहेंगी, जिसमें खाली ज़मीन तैयार करने के लिए ध्वस्तीकरण भी सम्मिलित है, पूंजीगत व्यय में शामिल होते, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, अपात्र होते हैं।

6) क्या आवेदकों को परियोजना फ़ंड के सभी स्त्रोतों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है?

हाँ। हाँ। सभी आवेदकों को आवेदन के स्त्रोत एवं उपयोग फ़ॉर्म में एक स्त्रोत तथा उपयोग विश्लेषण जमा करना चाहिए। स्रोत अनुभाग में लाइन आइटम के अंतर्गत NJEDA एआरटी II अनुदान आवेदन में अनुरोधित फ़ंड सहित परियोजना वित्तपोषण के सभी स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यदि NJEDA एआरटी II अनुदान आवेदन में अनुरोध की गई राशि को स्त्रोत के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है अथवा कुल स्त्रोत और कुल उपयोग बराबर नहीं हैं, तब स्त्रोत तथा उपयोग दस्तावेज़

को अधूरा माना जाएगा, और आवेदन एक ग़ैर विवेकाधीन अस्वीकृति प्राप्त करेगा।

7) परियोजना पात्रता संबंधी शर्तें क्या हैं और मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

आवेदन के समय, आवेदक स्व-प्रमाणन करेगा, कि परियोजना संघीय पात्रता शर्तों का पालन कर रही है:

- कोविड प्रभाव: आवेदकों को अवश्य ही इस बात को संबोधित करना चाहिए कि प्रस्ताव किस प्रकार से नकारात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा/अथवा कोविड 19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के प्रति उत्तरदाई है और एआरपी कार्यक्रम आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।
- क्षमता: आवेदक के पास प्रस्तावित परियोजना के समकक्ष कम से कम एक परियोजना को लागू करने का अनुभव होना चाहिए।
- दीर्घ-कालीन प्रभाव: प्रतिस्पर्धी आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अवश्य ही यह स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार प्रस्ताव समुदाय पर सकारात्मक दीर्घकालीन प्रभाव डालेगा और समग्र रूप से समुदाय लाभान्वित होगा।
- वित्तीय व्यावहारिकता: परियोजना द्वारा दीर्घ-कालीन वित्तीय व्यावहारिकता अवश्य ही प्रदर्शित की जानी चाहिए और यह सबूत कि परियोजना को 12/31/26 से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
- यूएस ट्रेज़री रिपोर्टिंग: 1 डॉलर से अधिक के सभी परियोजना व्यय के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को प्रासंगिक रिपोर्टिंग उपलब्ध कराने की क्षमता (यदि लागू हो या अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा अनुरोध किया गया हो), विशेष रूप से, सभी प्रस्तावों को यह विवरण प्रदान करना होगा कि परियोजना उनकी नगरपालिका में कोविड-19 के प्रभावों को कैसे संबोधित करेगी और यह पूंजीगत व्यय कोविड के कारण होने वाली आर्थिक हानि को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों है।

8) परियोजनाओं को कब पूरा किया जाना चाहिए और सभी अनुदान राशियों को ख़र्च हो जाना चाहिए?

सभी एआरटी - चरण II परियोजनाओं को पूरा हो जाना चाहिए, और सभी अनुदान राशियों को 31 दिसंबर, 2026 तक ख़र्च हो जाना चाहिए। सबूत के तौर पर यह दिखाने के लिए आवेदकों को एक परियोजना समय सीमा प्रस्तुत करनी होगी कि वे संघीय कार्यक्रम दिशानिर्देशों को पूरा कर सकते हैं।

9) क्या न्यू जर्सी का कर अनापत्ति प्रमाणपत्र कार्यक्रम की एक वांछनीयता है?

हाँ। आवेदन के समय कर अनापत्ति अवश्य ही उपलब्ध करानी चाहिए।

यदि आप प्रीमियर बिज़नेस सर्विसेज़ के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, तब प्रीमियर बिज़नेस सर्विसेज़ पोर्टल https://www16.state.nj.us/NJ_PREMIER_EBIZ/jsp/home.jsp पर जाएँ और चुनिये New Users Only – एक अकाउंट बनाएँ और नए अकाउंट को बनाने के लिए दिये गए निर्देशों का पालन करें।

अगर आप पहले से प्रीमियर बिज़नेस सर्विसेज़ में पंजीकृत हैं तब https://www16.state.nj.us/NJ_PREMIER_EBIZ/jsp/home.jsp. पर लॉग इन करें। कर तथा राजस्व केंद्र पर जाएँ और बिज़नेस इंटेंसिव टैक्स क्लियरेंस चुनें। यदि आपका अकाउंट कर दायित्वों के अनुरूप है और कोई देनदारियाँ अस्तित्व में नहीं हैं, तब पोर्टल पर ही बिज़नेस इंटेंसिव टैक्स क्लियरेंस को प्रिंट किया जा सकता है।

आपके अकाउंट संबंधी प्रश्नों को एनजे ट्रेज़री को 609-292-9292 पर या ईमेल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है या Integrated-Registration.Admin@treas.nj.gov पर प्रीमियर सेवाएँ पंजीकरण द्वारा भेजा जा सकता है।
कर अनापत्ति प्रमाणपत्रों में NJEDA को उस संस्था के रूप में नामित करना आवश्यक नहीं है जिसके लिए अनापत्ति ज़ारी की जा रही है।

NJEDA, न्यू जर्सी पर्यावरण संरक्षण विभाग (NJDEP) के साथ उस इकाई के रूप में कर अनापत्ति प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं कर सकता जिसके लिए कर अनापत्ति ज़ारी की जा रही है।

10) क्या लाभों के दोहराव की समीक्षा होती है?

हाँ, पूर्ण संघीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजनाओं को सम्पूर्ण लाभों के दोहराव की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी।

11) प्रति परियोजना, न्यूनतम निवेदित राशि क्या है?

न्यूनतम राशि निवेदन 100,000 डॉलर होती है।

12) **प्रति परियोजना, अधिकतम निवेदित राशि क्या है?**

अधिकतम राशि निवेदन 500,000 डॉलर होती है।

13) **एआरटी - चरण II कार्यक्रम के लिए राशियाँ किस प्रकार आवंटित की जाती हैं?**

एआरटी चरण II कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुदान समझौते के निष्पादन के उपरांत आवेदक को पूर्ण अनुदान राशि मिलेगी। आवेदक को परियोजना के पूरे होने तक त्रैमासिक रिपोर्टिंग जमा करनी होगी।

14) **क्या होगा यदि ऐसे आवेदक शेष रह जाएँगे जिनकी परियोजनाओं का पूरी डॉलर राशि के वित्तपोषण नहीं हो सकता है?**

यदि ऐसे आवेदक शेष रह जाएँगे जिनकी परियोजनाओं का पूरी निवेदित डॉलर राशि के वित्तपोषण नहीं हो सकता है, NJEDA स्टाफ़ उन्हें सूचित करेगा और उपलब्ध परियोजना राशि को स्पष्ट करेगा। उपलब्ध राशि को स्वीकार करने के लिए आवेदकों के पास सूचित किए जाने की तिथि से 15 कार्यदिवसों का समय होगा और उन्हें प्रस्तावित परियोजना बजट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण स्त्रोत के संबंध में सबूत अवश्य ही प्रस्तुत करना होगा। सबूत आश्य पत्र, प्रतिबद्धता पत्र, अथवा बैंक स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है। यदि आवेदक उपलब्ध राशि को स्वीकार नहीं करने का निर्णय करता है अथवा परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण की पहचान नहीं करता है, आवेदन अपूर्ण रहेगा और NJEDA द्वारा वापस लिया माना जाएगा।

15) **क्या ये कार्यक्रम प्रचलित वेतन को बढ़ावा देते हैं?**

हाँ, एआरटी - चरण आईआई कार्यक्रम, निर्माण संबंध गतिविधियों के लिए राशियों के उपयोग के आधार पर कुछ चुनी हुई परियोजनाओं में प्रचलित वेतन को बढ़ावा दे सकता है। प्रत्येक परियोजना का आकलन ईडीए श्रमिक अनुपालन द्वारा प्रचलित वेतन अनुपालन के लिए किया जाएगा।

19) **यदि परियोजना में निर्माण शामिल होता है तो क्या आवेदक परियोजना के लिए ठेकेदार अनुमान प्रस्तुत करता है?**

हाँ। आवेदक द्वारा ठेकेदार अनुमान अथवा अंतिम वाणिज्य भुगतान विखंडन जमा किया जाना चाहिए। परियोजना के ठेकेदार को अवश्य ही एनजे पंजीकृत सार्वजनिक कार्य ठेकेदार होना चाहिए।

20) **कार्यक्रम के लिए आवेदन शुल्क क्या है?**

इस कार्यक्रम के लिए कोई आवेदन शुल्क आवश्यक नहीं है।

21) **क्या मैं अनेक बार आवेदन कर सकता हूँ?**

नहीं, प्रत्येक EIN के लिए केवल एक (1) ही इकाई तक सीमित है।

22) **आवेदकों को स्कोर किस प्रकार दिये जाएँगे?**

प्रत्येक आवेदन की समीक्षा एक स्कोरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा की जाएगी। एआरटी - चरण II वेब पेज Activation, Revitalization, and Transformation (A.R.T.) Program - Phase II - NJEDA पर "स्कोरिंग क्राइटेरिया" दस्तावेज़ को डाउनलोड कर आवेदक आवेदन के स्कोरिंग घटकों की समीक्षा कर सकते हैं।

23) क्या आवेदन लाइव होने से पहले आवेदकों को प्रश्न पूछने के अवसर मिलेंगे?

हाँ, ऐसे वेबिनार आयोजित किए जाएँगे जहां NJEDA प्रतिनिधि कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों की समीक्षा करेंगे। इन वेबिनारों में प्रश्न पूछने के अवसर भी होंगे। सभी वेबिनार वेबसाइट पोस्ट किए जाएँगे। पहला आभासी सत्र मंगलवार, जून 18, 2024 को सुबह 11:00 बजे होगा। वेबिनार के लिए पंजीकरण हेतु here पर क्लिक करें।

आवेदक **ArtPhase2@njeda.gov. पर** ईमेल द्वारा भी प्रश्न जमा कर सकते हैं।